

27-03-18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार
आवाज लगावाई गई किन्तु वाहीशण (सामयलान)
असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आये।
अतः प्राथमिक पत्र १५ अक्षर टाजरी व अक्षर
पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद
तकमील संलग्न मूल कण्ड रहे।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यालयक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (संगम)